## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निग0 705–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–14 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक अपील 461/अ–6/12–13..

---

गुलाब चन्द्र जैन आत्मज स्व. धरमचंद जैन
निवासी म. नं. 994, राम मनोहर लोहिया वार्ड,
मछरहाई, जबलपुर ---- आवेदक

**विरूद्ध**

म0 प्र0 शासन ---- अनावेदक

---

श्री राजेन्द्र नामदेव, अधिवक्ता, आवेदक.

---

**:: आदेश ::**

**( आज दिनांक** 5-11-2015 . **को पारित )**

---

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 461/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 10–1–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, ढीमरखेड़ा के समक्ष ग्राम खम्हरिया प0ह0नं0 118/25 नं0 बं0 142 रा0नि0मं0 ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित भूमि सर्वे नंबर 548/1 नया नंबर 703 कुल रकबा

0.83 हैक्टर भूमि पर स्व0 धरमचंद के स्थान पर वसीयत के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन दिया । विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन इस आधार पर आदेश दिनांक 30.5.07 द्वारा निरस्त किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा अंपजीकृत दस्तावेज है तथा उसे 2 गवाहों से प्रमाणित नहीं कराया गया है । विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने आदेश दिनांक 11-3-08 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण को पुनः निराकृत किए जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रेषित किया । प्रत्यावर्तन उपरांत विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 10-4-12 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 7-11-2012 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदक के पिता धरचंद थे । जिनके द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 10-10-94 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत की गई है । विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 109 एवं 119 के प्रावधानों को समझने का प्रयत्न नहीं किया और मनमाने तरीके से आदेश पारित किया जिसकी पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने अपनी जांच में एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेशों में यह स्वीकार किया है कि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पिता धरमचंद का नाम दर्ज है । साक्ष्य के दौरान आवेदक के पक्ष में निष्पादित

वसीयत को अन्य विधिक वारिसानों ने स्वीकार किया है तथा आवेदक का नाम दर्ज किए जाने में अपनी सहमति दी है । इसके उपरांत भी आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में स्वामित्व का किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और विधिवत जारी इश्तहार के उपरांत किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गई है ।

यह तर्क दिया गया अधीनस्थ न्यायालयों का यह कहना कि वसीयत को अभिप्रमाणित करने के लिए 2 गवाह आवश्यक हैं, विधिसम्मत नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित अनेक न्यायदृष्टांतों में आवेदक की साक्ष्य एवं वसीयतनामा के एक साक्षी की साक्ष्य को वसीयत प्रमाणित करने के लिए सही माना है ।

यह तर्क दिया गया है कि वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है । विधि के प्रावधानों के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं वसीयत के साक्षी नंद कुमार का प्रतिपरीक्षण किया था और उक्त साक्षी ने स्वीकार किया था कि वसीयतनामा श्री धरमचंद जैन ने उसके समक्ष लिखा था उस पर उसके सामने हस्ताक्षर किए थे तथा स्वयं एवं एक अन्य साक्षी ने भी वसीयतनामा पर उसके सामने हस्ताक्षर किए थे । उपरोक्त कथन विचारण न्यायालय ने स्वयं लिए थे ऐसी स्थिति में यदि विचारण न्यायालय ने उक्त साक्षी से यह प्रश्न नहीं पूछा कि वसीयतकर्ता द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में वसीयत लिखी गई थी या नहीं तो इसमें आवेदक की किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कम से कम एक वसीयत साक्षी का परीक्षण अनिवार्य है । इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व निर्णय 1983 पेज 304 एवं माननीय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत एम.पी. एल.जे. 1992(3) 381 एवं 1986 आर0एन0 301 का हवाला देते हुए कहा गया कि इन न्यायदृष्टांतों में यह अभिज्ञनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितियों के अनुसार वसीयत एक साक्षी द्वारा भी साबित की जा सकती है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जब आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई है और आवेदक ने अपने प्रकरण को विधि के मान्य सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार प्रमाणित किया है तो वह अपने पक्ष में नामांतरण कराने का अधिकारी है । यदि कोई पक्ष आपत्ति पेश करता है या आवेदक के स्वामित्व को विवादित बनाता है तो उसे संहिता की धारा 111 के तहत स्वामित्व का निर्धारण दीवानी न्यायालय से कराना होता है । परंतु जब आवेदक के स्वत्व के संबंध में विवाद उत्पन्न नहीं हुआ तो आवेदक विधिपूर्वक स्वामी होने से नामांतरण कराने का अधिकारी है । उपरोक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण किए जाने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा वसीयतनामे के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उसके द्वारा वसीयतनामे के

गवाह पेश नहीं किये गये तथा वसीयतनामे को प्रमाणित करने के लिए दो गवाह आवश्यक हैं और आवेदक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है । विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत एवं अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत को प्रमाणित करने के लिए एक साक्षी का कथन पर्याप्त है जो इस प्रकरण में नहीं हुआ है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1993 आर0एन0 304, एम.पी.एल.जे. 1992(3) 281 एवं 1986 आर0एन0 301 अवलोकनीय है । अतः तहसीलदार का का यह निष्कर्ष कि वसीयत को प्रमाणित करने के लिए 2 गवाहों की साक्ष्य आवश्यक है, पूर्णत अवैधानिक है । इसी प्रकार तहसीलदार का यह निष्कर्ष भी अभिलेख पर आधारित नहीं है कि आवेदक द्वारा वसीयतनामे के गवाह पेश नहीं किए गए हैं । विचारण न्यायालय के अभिलेख में वसीयत के एक साक्षी श्री नंद कुमार का कथन अभिलेख के पृष्ठ 153 पर संलग्न है जिसमें उसने स्पष्ट कथन किया है कि वसीयत उसके समक्ष लिखा गया तथा गवाही में उसने हस्ताक्षर किए तथा एक अन्य गवाह के हस्ताक्षर हुए । धर्मचंद जैन ने दोनों गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये । उक्त कथन वसीयत के साथी नंदकुमार द्वारा तहसीलदार के समक्ष किए गए हैं । नंदकुमार द्वारा किए गए कथन का कोई खंड अभिलेख में नहीं है । अभिलेख में आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए अन्य साक्षियों के कथन भी संलग्न हैं, जिनमें उन्होंने प्रश्नाधीन भूमि को पूर्व में हुए आपसी सुलहनामा के आधार पर आवेदक का नाम दर्ज करने का कथन किया गया है । इसके अतिरिक्त धरमचंद के अन्य वारिसों द्वारा विचारण न्यायालय में वसीयत के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है बल्कि वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण मृतक धरमचंद के स्थान पर किए जाने में सहमति दी गई है । ऐसी

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करना पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी इस ओर ध्यान न देकर तथा विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह अभिलेख पर आधारित न होने तथा विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2014, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–2012 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–12 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम खम्हरिया प0ह0नं0 118/25 नं0 बं0 142 रा0नि0मं0 ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित भूमि सर्वे नंबर 548/1 नया नंबर 703 रकबा 0.83 हैक्टर भूमि पर आवेदक का नाम वसीयतनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

( एम0 के0 सिंह )
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर